

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-9
संख्या: 1014/नौ-9-2023-ई-1711451
लखनऊ : दिनांक 05 जून 2023

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, भारत सरकार के पत्रांक-15(2) FC-XV/FCD/2020-25 दिनांक-28.07.2021 एवं पत्रांक-15(2) FC-XV/FCD/2020-25 दिनांक-10.08.2021 के द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगरीय स्थानीय निकायों को दिये जाने वाले अनुदान के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। तदक्रम में केन्द्र सरकार से नगरीय निकायों को विभिन्न मदों में प्राप्त होने वाली अनुदान की धनराशि के उचित उपयोग के अनुश्रवण तथा इन अनुदानों की देयता से संबंधित शर्तों के अनुपालन हेतु एतद्वारा एक "उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति (High Level Monitoring Committee)" का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

- | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| 1. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन | अध्यक्ष |
| 2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन | सदस्य |
| 3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| 4. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग | सदस्य |
| 5. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | सदस्य |
| 6. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग | सदस्य सचिव |
| 7. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग | सदस्य |
| 8. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | सदस्य |

(विशेष आमंत्रित सदस्य NCAP एवं AQI के लिये)

2. उक्त समिति 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर विभिन्न मदों में प्राप्त होने वाली अनुदान की धनराशि के उचित उपयोग तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य करेगी। समिति की बैठक कम से कम तीन माह में एक बार या आवश्यकतानुसार इससे अधिक भी आहूत की जायेंगी।

(अमृत अभिजात)

प्रमुख सचिव, अमृत अभिजात

Date: 29-05-2023 13:14:09

Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
2. स्टॉफ आफिसर/प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त समिति की बैठकें भी पंचायतीराज विभाग की उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक के साथ आहूत कराये जाने एवं समन्वय हेतु संबंधित को निर्देशित कराने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
9. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से,

(मो० वासिफ)
अनु सचिव।